न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

दिनांक 24–01–2018

मिसल नम्बर 94 / 2017

उनवान

1. श्री लाल सिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर .... वादी

।। बनाम ।।

1. मोहम्मद खां पिता घासी खा मेवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
2. अजीज खां पिता घासी खां मेवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
3. बशीर खां पिता घासी खां मेवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
4. बिन्दु खां पिता घासी खां मेवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
5. सरकार जरिये तहसीलदार साहब,भदेसर जिला चित्तौडगढ

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री ओंकारलाल शर्मा वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, ~~के तहत~~ के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मिन्नाणा पटवार हल्का गरदाना तहसील भदेसर के खाता संख्या 98 पर दर्ज आराजी नम्बर 627 रकबा 0.4900 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है जो मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन से अलग कर अलग खातेदारी में दर्ज कराया जावे ।

प्रकरण वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । वाद कार्यवाही दिनांक 12–06–2017 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा मिन्नाणा की आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया । आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा राजस्व विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसके अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से इस पर बंटवारा वाद वादी निम्न

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:19:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, चित्तौडगढ 24.1.18

Scanned by CamScanner

अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

मौजा– मिन्नाणा

क.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	श्री लालसिहं पिता बाघसिहं राजपूत सा0देह के हिस्से में रहेगी रहन बदस्तूर बीओबी शाखा भदेसर	627/1	0.3000	4.20
	योग	किता–1	0.3000	4.20
2	श्री मोहम्मद खां अजीज खां बशीर खां बिन्दु खां पिता घासी खां मेवाती हिब सा0देह के खातेदारी में रहेगी रहन बदस्तूर पी0एन0बी शाखा आसावरा हिस्सा मोहम्मद बशीर	627 मी	0.5900	8.26
		किता– 1	0.5900	8.26

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमें आम मे सुनाया गया ।

24.1.18

(गोपीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:19:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास – श्री मांगीलाल रेगर, आर0ए0एस0,

1. श्री लाल सिंह पिता बाघसिंह राजपूत निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर ....वादी

।। बनाम ।।

1 मोहम्मद खां पिता घासी खां मेंवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
2. अजीज खां पिता घासी खां मेवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
3. बंशीर खां पिता घासी खां मेवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
4. बिन्दु खां पिता घासी खां मेवाती निवासी मिन्नाणा तहसील भदेसर
5. सरकार जरिये तहसीलदार साहब,भदेसर जिला चित्तौडगढ़ ....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, रा0 का0 अधि0 1955

प्रकरण सं0. 94/2017 ई0रे0

वादी की और से वकील श्री औकारलाल रायका एवं प्रतिवादी की ओर से वकील -- की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 24–01–2018 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर हस्व फर्द बंटवारा वाद वादी अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि मौजा मिन्नाणा की वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	श्री लालसिहं पिता बाघसिहं राजपूत सा0देह के हिस्से में रहेगी रहन बदस्तूर बीओबी शाखा भदेसर	627/1	0.3000	4.20
	योग	किता–1	0.3000	4.20
2	श्री मोहम्मद खां अजीज खां बशीर खां विन्दु खां पिता घासी खां मेवाती हिब सा0देह के खातेदारी में रहेगी रहन बदस्तूर पी0एन0बी शाखा आसावरा हिस्सा मोहम्मद बशीर	627 मी	0.5900	8.26
		किता– 1	0.5900	8.26

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में [illegible] आज दिनांक 24-01-2018 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 17:19:04 IST
Reason: SelfAttested

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी 24.1.18
भदेसर
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner